रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—21

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-सा.-01012022-232303
CG-UP-W-01012022-232303

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1—जनवरी 7, 2022 (पौष 11, 1943)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1—JANUARY 7, 2022 (PAUSA 11, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसंबर 2021

सं. आर-22012/1/2013-ओआर-I/ई-7712—इस मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजे गए दिनांक 29.12.2017 और 22.12.2020 के संकल्प सं. आर-22012/1/2013-ओआर-I के अनुसरण में आगे यह संसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संशोधनों को प्रकाशित किया जाए—

''पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन से संबंधित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) का कार्यकाल दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 से दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक एततद्वारा बढ़ाया जाता है। समिति के निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कपिल वर्मा
उप सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 2021

सं. ई. 11015(1)/2019-हिंदी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में तथा अपने दिनांक 27 मई, 2016, 19 सितम्बर, 2016 के संकल्प सं. ई.11015/4/2014-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:—

1. गठन

1. इस्पात मंत्री — अध्यक्ष

2. इस्पात राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

2. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य

1	श्री संजय सेठ, संसद सदस्य (लोक सभा) करूणा सदन, वेस्ट एंड पार्क, हेहल, रांची, झारखण्ड-834005	सदस्य

2	श्री सुनील कुमार सोनी, संसद सदस्य (लोक सभा) एचआईजी-/सी-80, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य

3. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य

3	श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया, संसद सदस्य (राज्य सभा) ए-2, उत्सव बंगलो, दीसा-पाटन हाईवे, तालुक-दीसा, जिला- बनासकांठा, गुजरात- 385535	सदस्य
4	श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य (राज्य सभा) 521, मॉडल टाउन, जालंधर सिटी पंजाब-144003	सदस्य

4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5	श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) मंत्री जी टोला, पोस्ट-सहरबन्नी अलौली, खगडिया, बिहार	सदस्य
6	श्री दिनेश चन्द्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) ग्राम- बनमा, पोस्ट आफिस- इटहरी, पी.एस. सल्खुआ बाजार, जिला- सहरसा- 852126 (बिहार)	सदस्य

5. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् /अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि

7	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, डी-2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
8	श्री महेश बंशीधर अग्रवाल, प्रधान संपादक, 'मंथन' कार्यालय नं. 16 अग्रसेन टॉवर, पहला तला, प्रताप सिनेमा के पास, कोलबाड रोड़, ठाणे (डब्ल्यू) (महाराष्ट्र) 400601	सदस्य

6. इस्पात मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9	प्रो.(डॉ.) राम बचन राय, 4 एम, 138 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, पटना-800026	सदस्य
10	डॉ. अमरदीप, एचआईजी-12, ब्लाक-1, सेक्टर-7, बीएच कॉलोनी, पटना-800026	सदस्य

11	डॉ. रिंकु कुमारी, मकान नं. 27, गली नं. 10, ए-1 ब्लॉक, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली-110084	सदस्य
12	श्री सुधीर कसार, 22-हनुमान जी वार्ड, पोस्ट- महाराजपुर, जिला- मण्डला (मध्य प्रदेश) 481665	सदस्य

7. राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13	डॉ. शंकर लाल पुरोहित 105 श्रीश्रर, बालाजी कॉम्प्लेक्स, झारपाड़ा, भुवनेश्वर-751006 (ओड़िशा)	सदस्य
14	श्री देशपाल सिंह राठौर 23/672, भूतल, डीडीए फ्लैट, मदनगीर, नई दिल्ली-110062	सदस्य
15	डॉ. प्रणव शर्मा 'शास्त्री' 'कल्पतरू' ए-30, वसुंधरा कॉलोनी, पीलीभीत-262001 (उ.प्र.)	सदस्य

सरकारी सदस्य

16.	सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय	सदस्य
17.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
18.	अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
19.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
21.	अध्यक्ष, स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेकॉन लिमिटेड, रांची (झारखंड)	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मॉयल लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
28.	प्रबंध निदेशक, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्य-अवधि

1. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यत: 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

3. विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

5. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.।।/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ।।/20034/04/86-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/ दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी. श्रीनिवास
संयुक्त सचिव

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली-110001. दिनांक 28 दिसम्बर 2021

संकल्प

सं. ई-11013/2/2019-हिंदी—पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पिछली हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने और सत्रहवीं लोक सभा के गठन होने के फलस्वरूप भारत सरकार ने उक्त समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:—

I. गठन

	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री	अध्यक्ष
	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री-।	उपाध्यक्ष
	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री-।।	उपाध्यक्ष
i)	सरकारी सदस्य	
1	सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
2	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
3	अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
4	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
5	आर्थिक सलाहकार (पत्तन विंग), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य सचिव

6	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
7	मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
8	अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई	सदस्य
9	महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
10	अध्यक्ष, मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई	सदस्य
11	अध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन न्यास, कांडला	सदस्य
12	अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप	सदस्य
13	अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन न्यास, गोवा	सदस्य
14	अध्यक्ष, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	सदस्य
15	अध्यक्ष, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास, विशाखापट्टणम	सदस्य
16	अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास, कोलकाता	सदस्य
17	अध्यक्ष, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन	सदस्य
18	अध्यक्ष, नव मंगलूर पत्तन न्यास, मंगलूरू	सदस्य
19	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचिन शिपयार्ड लि., कोचिन	सदस्य
20	अध्यक्ष, कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन	सदस्य

ii) गैर-सरकारी सदस्य :

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य :

21. श्री विनोद चावड़ा, सांसद (लोक सभा) — सदस्य

स्थाई पता-
1, मैत्री भुवन, प्रथम तल,
लाल टेकरी, भुज, कच्छ, गुजरात
टेली फैक्स : (02832) 225466, 09825905467 (मो)

वर्तमान पता-
बंगला सं.4, महादेव रोड,
नई दिल्ली-110001
टेलीफैक्स : (011) 23713992, 09825905467 (मो.)

22. श्री दिलीप घोष, सांसद (लोक सभा) — सदस्य

स्थाई पता : गांव-कुलियाना, डाकघर-मलीनचा,
जिला-झारग्राम -721517, पश्चिम बंगाल
09933135352, 09231174200 (मो)

वर्तमान पता-
फ्लैट सं.- 8, नॉर्थ एवेन्यू-डूप्लेक्स,
नई दिल्ली -110001
09231174200 (मो)

23.	डॉ. विकास महात्मे, सांसद (राज्य सभा) स्थाई पता: 16, सेंट्रल एक्साईज कॉलोनी, रिंग रोड, नागपुर - 440015 टेलीफोन - {0712}2222556, 2222553, 9975590908 वर्तमान पता- सी-704, स्वर्ण जयंति सदन, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001 टेलिफोन - 21430410, 23724788, मो. :9013181312	सदस्य
24.	श्री महेश जेठमलानी, सांसद (राज्य सभा) स्थाई पता: 67/एफ 302, शामियाना इमारत, वालकेश्वर, मुंबई वर्तमान पता : 68, जोर बाग, नई दिल्ली	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

25.	श्री भर्तृहरि महताब, सांसद (लोक सभा) स्थायी पता : बेहारीबाग, चांदनी चौक, कटक - 753 002, ओडिशा टेली फोन: (0671) 2507568, 2508003, 0943722845 (मो) वर्तमान पता : एबी-94, शाहजहां रोड, नई दिल्ली - 110 011 टेलीफोन : (011) 23782589, 23782742, 09868180308 (मो)	सदस्य
26.	श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, सांसद (लोक सभा) स्थाई पता – श्री निवास, पदमजी पेपर मिल के नजदीक, थेरगांव, पुणे, महाराष्ट्र– 411033 टेलीफोन : (020) 64107171, 09822004494, 09818117771 (मो) फैक्स : (020) 27517171 वर्तमान पता- डुप्लेक्स फ्लैट नं. 36, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: (011) 23094027 , 09818117771 (मो), फैक्स : (011) 23094028	सदस्य

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित

27.	प्रो. अनन्तराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो.-हिंदीनगर, वर्धा (महाराष्ट्र) - 442 003 टेलीफोन 07152-240745 (कार्यालय), 07152-240128 (निवास) 09422140128 (मो.)	सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

28.	श्री राकेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता (वै.) आवास सं. 2, केलोनिवि सेवा केंद्र, सेक्टर-8, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली- 110022 मोबाइल : 9899237239	सदस्य

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

29.	श्री हिमांशु शेखर 30/37, ओल्ड राजिंदर नगर, नई दिल्ली -110060 मोबाइल: 9891323387 ईमेल- : hshekhar.iimc@gmail.com	सदस्य
30.	श्री निखिल सिंह 101, खिड़की गांव, दूसरा तल, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 मोबाइल :8860511666 ई मेल: nikhilsingh2609@gmail.com	सदस्य
31.	श्री दीपक वघासिया श्रीजी विद्यार्थी भुवन, लाठी रोड, एस.टी. डिवीजन के पास, अमरेली, गुजरात – 365601 फोन: (02792)/240067, मो :.94269 76642 , 93138 2333 ई-मेल- dipakvaghasiya111@gmail.com	सदस्य
32.	श्री रविशंकर रवि ई/404, प्रशांति प्राइड अपार्टमेंट, तरुण नगर मेन रोड, गुवाहाटी-781005 मोबाइल :9435049631 ई:मेल- ravighy@gmail.com	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए गए गैर-सरकारी सदस्य

33.	डॉ. शोभनाथ शुक्ल, साक्षी विला 1274/28, बढ़ैयावीर, सिविल लाइन्स-2 सुलतानपुर-228001 (उ.प्र.) मो. – 9415136267	सदस्य
34.	श्री आशीष 'अनल' अवस्थी, कपूरथला घोसियाना रोड, निकट सिटी माण्टेसरी स्कूल, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701, मो. – 9415053094	सदस्य
35.	डॉ. तारा दूगड़, नीलकंठ, 26-बी, कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल मो.- 9830401212	सदस्य

II. समिति के कार्य

यह समिति, केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर-निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

III. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन 3 वर्ष का होगा :—

क. जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद-सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

ख. जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

ग. इस समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे; तथा

घ. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण - कोई स्थान खाली हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य, इस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेगा।

IV. यात्रा तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.-।।/20034/4/2005- रा.भा.(नीति-2) के अनुसार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/22034/4/86- रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुरूप यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

V. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती हैं।

VI. आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा इसके सभी नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/ सहकारी समितियों/ संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरविंद चौधरी
आर्थिक सलाहकार (विंग पत्तन)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 24th December 2021

No.R-22012/1/2013-0R-I/E-7712—In continuation of the Resolution sent by this Ministry vide No. R22012/1/2013-OR-I dated 29.12.2017 & 22.12.2020 for publication in THE GAZETTE of India, it is further conveyed that the following amendments may be published:—

"The tenure of Scientific Advisory Committee (SAC) on Hydrocarbon of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby extended for a period of two year with effect from 29th December, 2021 or till further order. The terms and conditions of the Committee remain unchanged."

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KAPIL VERMA
Deputy Secretary

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 11th October 2021

No. E. 11015(1)/2019-Hindi—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988 and O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 04-05-1989 and in supersession of its Resolution No. E.11015/4/2014-Hindi dated 27th May, 2016 and 19th September, 2016, Ministry of Steel, Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry. The composition, functions etc. of the reconstituted Samiti will be as given hereunder:—

I　COMPOSITION

1.　Minister of Steel　Chairman

2.　Minister of State for Steel　Vice-Chairman

NON-OFFICIAL MEMBERS

2.Two members of Parliament (Lok Sabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

1	ShriSanjay Seth Member of Parliament (Lok Sabha) Karuna Sadan, West End Park, Hehal, Ranchi Jharkhand 834005	Member
2	Shri Sunil Kumar Soni, Member of Parliament (Lok Sabha) HIG/C-80, Shailendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh	Member

3. Two members of Parliament (Rajya Sabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

3	Shri Dineshchandra Jemalbhai Anavadiya Member of Parliament (Rajya Sabha) A-2. Utsav Bunglows, Deesa-Patan Highway, At. Deesa, Ta. Deesa, Dist.-Banaskantha, Gujarat – 385535	Member

4	Shri Naresh Gujral, Member of Parliament (Rajya Sabha) 521, Model Town, Jalandhar City, Punjab-144003	Member

4. Two members of the Committee of Parliament on Official Language

5	Shri Chirag Paswan, Member of Parliament (Lok Sabha) Mantri Ji Tola, Post-Saharbanni, Aloli, Khagaria, Bihar	Member
6	Shri Dinesh Chandra Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) Vill.Banma P.O. Itahari, P.S. Salkhua Bazar, Dist. Saharsa- 852126 Bihar	Member

5. Representatives of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad/Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh

7	Shri Gopal Krishan Farliya, D-2/2205, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	Member
8	Shri Mahesh Banshidhar Agrawal, Pradhan Sampadak, ‘Manthan’ Karyalay No. 16, Agrasen Tower 1 Floor, Near Pratap Cinema, Kolbad Road, Thane (W)-400601 (Maharashtra)	Member

6. Members nominated by Ministry of Steel

9	Prof. (Dr.) Ram Bachan Rai, 4 M. 138, Bahadurpur Housing Colony, Bhutnath Road, Patna- 800026	Member
10	Dr. Amardeep, HIG-12, Block-1, Sector-7, BH Colony, Patna- 800026	Member
11	Dr. Rinku Kumari, House No. 27, Gali No. 10, A-1 Block, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084	Member
12	Shri Sudhir Kasar, 22 Hanuman ji Ward, Po. Maharajpur, Dist. Mandala (M.P.) 481665	Member

7. Representatives nominated by Department of Official Language

13	Dr. Shankar Lal Purohit 105 Shrishrar Balaji Complex Jharpada, Bhubaneswar Odisha -751006	Member
14	Shri Deshpal Singh Rathore 23/672, Ground Floor, DDA Flat, Madangir, New Delhi -110062	Member

15	Dr. Pranav Sharma 'Shastri ' 'Kalpataru' A-30, Vasundhara Colony, Pilibhit- 262001 (U.P.)	Member

8. OFFICIAL MEMBERS

16.	Secretary (Steel) Ministry of Steel	Member
17.	Secretary, Department of Official Language	Member
18.	Additional Secretary, Ministry of Steel	Member
19.	Additional Secretary & F.A., Ministry of Steel	Member
20.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
21.	Chairman, SAIL, New Delhi	Member
22.	Chairman-cum-Managing Director, NMDC Limited., Hyderabad	Member
23.	Chairman-cum-Managing Director, MECON Limited., Ranchi	Member
24.	Chairman-cum-Managing Director, MOIL Limited, Nagpur	Member
25.	Chairman-cum-Managing Director, KIOCL Limited, Bangalore	Member
26.	Chairman-cum-Managing Director, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam	Member
27.	Chairman-cum-Managing Director, MSTC Limited, Kolkata	Member
28.	Managing Director, FSNL Limited, Bhilai	Member
29.	Joint Secretary, (In-charge of Official Language) Ministry of Steel	Member-Secretary

II FUNCTIONS

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Languages Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

III TENURE

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.
2. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.
3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
4. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
5. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

IV GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

V T.A. AND OTHER ALLOWANCES

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.

(b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti, will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel, all State Governments and Union Territory Administrations, President Secretariat,Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India; Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be Published in the Gazette of India for General information.

T. SRINIVAS
Joint Secretary

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi-110001, the 28th December 2021

RESOLUTION

No. E- 11013/2/2019-Hindi—Consequent upon the end of tenure of the previous Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Port, Shipping and Waterways and after the constitution of the Seventeenth Lok Sabha, the Government of India has decided to reconstitute the said Committee. The Composition, functions and tenure etc. of the committee will be as under:—

I. Composition

	Minister of Ports, Shipping and Waterways	CHAIRMAN
	Minister of State for Ports, Shipping and Waterways-1	VICE- CHAIRMAN
	Minister of State for Ports, Shipping and Waterways-2	VICE- CHAIRMAN
i)	Official Members	
1.	Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member
2.	Secretary, Department of Official Language	Member
3.	Addl. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member
4.	Addl. Secretary & Economic Advisor, Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member
5.	Economic Advisor, (Port Wing) Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member Secretary
6.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
7.	Chief Engineer and Administrator, Andaman and Lakshdweep Harbor Works, Port Blair	Member
8.	Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai	Member
9.	Director General, Directorate General of Shipping, Mumbai	Member
10.	Chairman, Mumbai Port Trust, Mumbai	Member
11.	Chairman, Deendayal Port Trust, Kandala	Member
12.	Chairman Paradip Port Trust, Paradip	Member
13.	Chairman, Murmugao, Port Trust, Goa	Member
14.	Chairman, Chennai Port Trust, Chennai	Member
15.	Chairman, Vishakhapatnam Port Trust, Vishakhapatnam	Member

16.	Chairman, Syama Prasad Mookerjee Port Trust, Kolkata	Member
17.	Chairman, V.O. Chidambarnar Port Trust, Tuticorine	Member
18.	Chairman, New Mangalore Port Trust, Mangalore	Member
19.	Chairman and MD, Cochin Shipyard Ltd. Cochin	Member
20.	Chairman, Cochin Port Trust, Cochin	Member

ii) Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

21. Shri. Vinod Chavda, MP (Lok Sabha) — Member

Permanent Address :
1, Maitri Bhuvan,
1st Floor, Lal Tekri, Bhuj, Kutch, Gujarat
Telefax : (02832) 225466, 09825905467 (M)

Permanent Address :
Bungalow No. 4, Mahadev Road,
New Delhi-110 001
Telefax : (011) 23713992, 09825905467 (M)

22. Shri Dilip. Ghosh, MP (Lok Sabha) — Member

Permanent Address :
Vill.-Kuliana, P.O. Malincha,
Distt. Jhargram-721517, West Bengal
09933135352, 09231174200 (M)

Present Address :
Flat No. 8, North Avenue-Duplex,
New Delhi-110001 (M) -09231174200

23. Dr. Vikas Mahatme, MP (Rajya Sabha) — Member

Permanent Address :
16, Central Excise Colony, Ring Road, Nagpur-440015
Tel. - {0712}2222556, 2222553, 9975590908

Present Address :
C-704, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B. D. Marg, New Delhi-110001
Tel. - 21430410, 23724788, Mob:9013181312

24. Shri Mahesh Jethmalani, MP (Rajya Sabha) — Member

Permanent Address :
67/F 302, Shamiana Imarat, Walkeshwar, Mumbai

Present Address :
68, Jor Bagh, New Delhi.

Nominated by the Committee of the Parliament on Official Language

25. Shri Bhartruhari Mahtab, MP (Lok Sabha) — Member

Permanent Address :
Beharibag, Chandini Chowk,
Cuttack-753 002, Odisha
Tels. : (0671) 2507568, 2508003, 09437228455 (M)
Fax : (0671) 2508001

Present Address :
AB-94, Shahjahan Road,
New Delhi - 110 011
Tels. : (011) 23782589, 23782742, 09868180308 (M)

26.	Shri Shrirang Appa Barne, MP (Lok Sabha) Permanent Address : Shri Niwas, Near Padamji Paper Mill, Thergaon, Pune - 411033, Maharashtra Tel : (020) 64107171, 09822004494, 09818117771 (M) Fax : (020) 27517171 Present Address : Duplex Flat No. 36, North Avenue, New Delhi - 110 001 Tel : (011) 23094027, 09818117771 (M) Fax : (011) 23094028	Member

Nominted by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha

27.	Pro. Anantram Tripathi, Pradhanmantri, Rastrabhasha Prachar Samiti, P.O. Hindi Nagar, Vardha (Maharashtra) 442 003, Official Telephone No. – 07152-240745, Residential 07152-240128, Mobile 09422140128	Member

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

28.	Shri. Rakesh Kumar Verma, Assistant Engineer (Ele) House no-2, CPWD Service Centre, Sector-8, R.K. Puram, New Delhi-110022	Member

Non-Official Members Nominated by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

29.	Shri. Himanshu Shekhar, 30/37, Old Rajinder Nagar, New Delhi- 110060 Mobile- 9891323387 E-mail- hshekhar.iimc@gmail.com	Member
30.	Shri. Nikhil Singh, 101, Khirki Village, 2nd Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Mobile: 8860511666 E-mail – nikhilsingh2609@gmail.com	Member
31.	Shri. Dipak Vaghasiya, Shreeji Vidhyarthi Bhuvan, Lathi Road, Near ST Division, Amreli, Gujarat – 365601 Phone- 02792/240067, Mobile- 9426976642, 931382333 E-mail- dipakvaghasiya111@gmail.com	Member
32.	Shri. Ravishankar Ravi, E/404 – Prashanti Pride Apartment, Tarun Nagar Main Road, Guwahati- 781005 Mobile- 9435049631 E-mail- ravighy@gmail.com	Member

Non- Official Members nominated by the Department of Official Language

33.	Dr. Shobhnath Shukla,` Sakshi Villa, 1274/28, Badhaiyaveer. Civil Lines-2, Sultanpur, U.P.- 228001 Mobile- 9415136267	Member
34.	Sh. Ashish 'Anal' Avasthi, Kapurthala Ghosiyana Road, Near City Montessori School, Lakhimpur-Khiri Uttar Pradesh- 262701, Mobile- 9415053094	Member

35. Dr. Tara Dugarh, Member
Neelkanth, 26-B, Kamek Street, Kolkata,
West Bengal- 700016, Mobile- 9830401212

II. Functions of the Committee

The Samiti will advise on the matters relating to the progressive use of Hindi in Official work of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in accordance with the policies laid down and the guidelines issued by the Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language in this regard from time to time.

III. Tenure

The Tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:—

a. The Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of Parliament.

b. The Members of Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;

c. Ex-Officio members of the Samiti shall continue to be Members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and

d. If any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Travelling and other allowances

As per Department of Official Language's Office Memorandum No.II/20034/4/2005-O.L.(Policy-2) dated 03.02.2006, Travelling Allowance and Daily Allowance to Non Official Members of the Samiti will be paid as under:-

a. The Members of Parliament nominated in this committee will be paid Travelling Allowance and Daily allowance for attending the meetings of the Samiti as per the provisions of the Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954 and Rules made thereunder and the amendments issued from time to time.

b. Travelling Allowance and Daily Allowance to other Non Official Members of the Samiti will be paid as per guidelines contained in the Department of Official Language's Office Memorandum No.II/22034/04/86- O.L. (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

V. General

Headquarter of the Committee will be at new Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if required.

VI. Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, All Ministries/ Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay & Accounts Office and PSUs/ Cooperatives/ Attached/Subordinate offices/ Autonomous Bodies under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general public information.

ARVIND CHOUDHARY
Economic Advisor (Ports Wing)

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN GARAI
Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI
Date: 2022.01.01 10:33:44 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--22

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29012022-232974
CG-DL-W-29012022-232974

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29—फरवरी 4, 2022 (माघ 9, 1943)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2022 (MAGHA 9, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	33
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	35
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	97
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1477
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	49
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	201
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	33
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	35
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..........	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	97
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..........	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1477
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	49
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	201
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जनवरी 2022

संकल्प

सं. ई-11013/2/2019-हिंदी—राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा प्रो. अनंतराम त्रिपाठी, प्रधान मंत्री का निधन होने के कारण उनके स्थान पर डॉ. हेमचन्द्र वैद्य, प्रधान मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

श्री हेमचन्द्र वैद्य,
प्रधान मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
'चित्रकूट', राधानगर,
साबले प्लॉट बैचलर रोड,
वर्धा-442001
मोबाईल: 09405903278
ई-मेल: drhemchandravaidya@gmail.com

2. इस समिति में डॉ. हेमचन्द्र वैद्य, प्रधान मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा का कार्यकाल समिति का शेष कार्यकाल रहेगा।

3. दिनांक 28.12.2021 के समसंख्यक संकल्प में दी गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरविंद चौधरी
आर्थिक सलाहकार (पत्तन स्कंध)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi-110001, the 21st January 2022

RESOLUTION

No. E- 11013/2/2019-Hindi—Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha has nominated Dr. Hemcharndra Vaidya, Pradhan Mantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti as a non-official member of Hindi Advisory Committee of the Ministry of Ports, Shipping and waterways consequent upon the demise of Pro. Anantram Tripathi, Pradhanmantri. The details of Dr. Hemcharndra Vaidya are given below:—

Dr. Hemcharndra Vaidya,
Pradhanmantri,
Rashtrabhasha Prachar Samiti,
'Chitrakoot', Radhanagar,
Saable Plot Bachelor Road,
Wardha-442001
Mobile : 09405903278
E-mail: drhemchandravaidya@gmail.com

2. The tenure of Dr. Hemcharndra Vaidya, Pradhanmantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti will be till the remaining tenure of the Committee.

3. All other terms and conditions in the Resolution of even number dated 28.12.2021 will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to Administrations of all States and UTs, All Ministries and Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission, Union Public Service Commission and Parliament Library.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND CHOUDHARY
Economic Advisor (Ports Wing)

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR
Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR
Date: 2022.01.29 09:08:35 +05'30'